संख्या-13-ई0एम0/87-का-4/2005

प्रेषक,

प्रदीप शुक्ला,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ :: दिनांक:: 26 अगस्त, 2005

विषयः-स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर प्रदान किया जाना ।

महोदय,

वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों के आधार पर शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त संवर्ग के विभिन्न स्तरों पर पदों का आनुपातिक प्रतिशत 50 : 30 : 15: 5 रखते हुए, उनका पदनाम क्रमशः आशुलिपिक ग्रेड-2, आशुलिपिक ग्रेड-1, वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 तथा वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 कर दिया जाय एवं उक्त चारों श्रेणी के पदों का वेतनमान क्रमशः रूपये-4,000-6,000, रूपये-5,000-8,000, रूपये-5,500-9,000 तथा रूपये-6,500-10,500 रखा जाय ।

2. उपर्युक्त स्टाफिंग पैटर्न के अनुरूप आशुलिपिकीय संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए, संवर्ग में पदोन्नतियां किये जाने हेतु, सेवा नियमावलियों के संशोधन में लगने वाले समय के दृष्टिगत संबंधित कर्मचारियों के समायोजन/पदोन्नति हेतु, शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:-

(1) संवर्ग में की जाने वाली नियुक्तियां /पदोन्नतियां पदनाम व वेतनमान संशोधन आदि की कार्यवाही निम्न प्रकार कर ली जाय :-

(क) संवर्ग में प्रथम स्तर का पद सीधी भर्ती का पद होगा और इसे आशुलिपिक ग्रेड-2 कहा जायेगा । इस पद का वेतनमान रूपये-4000-6000 होगा ।

(ख) आशुलिपिक ग्रेड-1(वेतनमान रूपये-5000-8000) के पद द्वितीय स्तर के पद होंगे तथा इन पदों पर समायोजन/पदोन्नति हेतु आशुलिपिक के पद पर न्यूनतम 07 वर्ष की संतोषजनक सेवा आवश्यक होगी ।

(ग) वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 (वेतनमान रूपये- 5500-9000) के पद तृतीय स्तर के पद होंगे और इन पर समायोजन/ पदोन्नति हेतु

आशुलिपिक ग्रेड-1/समकक्ष पद पर की गयी न्यूनतम 05 वर्ष अथवा संवर्ग में की गयी कुल 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा आवश्यक होगी ।

(घ) वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1(वेतनमान रूपये-6500-10500) के पद संवर्ग के चतुर्थ स्तर के पद होंगे और इन पर समायोजन/पदोन्नति हेतु वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2/समकक्ष पद पर की गयी न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा अथवा संवर्ग में की गयी कुल 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा आवश्यक होगी।

(2) जिन विभागों में स्टाफिंग पैटर्न का शासनादेश निर्गत नहीं हुआ है , वहां दिनांक 13.12.2004 को आशुलिपिक संवर्ग में उपलब्ध पदों को निर्धारित अनुपात में पुनः वितरित मानते हुए, उपर्युक्त प्रस्तर-2(1) में निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी सेवा वाले कर्मचारियों का उपर्युक्तानुसार समायोजन इस आदेश के निर्गत होने की पूर्ववर्ती तिथि तक किया जायेगा । इस तिथि के बाद उच्चतर पदों पर नियुक्ति हेतु , उपर्युक्त प्रस्तर-2(1) में निर्धारित शर्तो के अधीन पदोन्नति की सामान्य प्रक्रिया अपनायी जायेगी एवं आच्छादित कर्मचारियों का वेतन निर्धारण सामान्य नियमों के अधीन किया जायेगा ।

(3) जिन विभागों में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों के विभाजन का निर्णय हो चुका है वहां पहले से विभिन्न स्तर के पदों की उपलब्धता की दशा में वेतन निर्धारण हेतु जारी किये गये विभागीय शासनादेश में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा परन्तु पदों के जो स्तर विभाग में पूर्व में उपलब्ध नहीं थे, उनके सापेक्ष समायोजन/ पदोन्नति की प्रक्रिया का अनुसरण उपर्युक्त प्रस्तर-2(2) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा ।

(4) उपर्युक्तानुसार उच्चतर पदों के विरूद्ध कर्मचारियों के समायोजन अथवा पदोन्नति में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया जायेगा ।

3. प्रश्नगत संवर्ग के प्रथम स्तरीय पद आशुलिपिक ग्रेड-2 (वेतनमान-रूपये-4000-6000) पर नियुक्ति हेतु पूर्व निर्धारित अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपि में 80शब्द प्रतिमिनट की निर्धारित गति तथा टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट के साथ कम्प्यूटर से संबंधित ज्ञान की अर्हता (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.सोसाइटी द्वारा संचालित सी.सी.सी.पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना) अनिवार्य अर्हता होगी ।

4. विभिन्न वेतनमानों में पदों की संख्या का निर्धारण तथा संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारण संबंधी आदेश प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24 अप्रैल, 2002 के प्राविधानों के अनुसार पृथक से वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराये जायेंगे ।

5. संबंधित सेवा नियमावली में यथावश्यक संशोधन की कार्यवाही इन कार्यकारी आदेशों के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी की जायेगी ।

6. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

7. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू.ओ.वे.आ. -2-819/दस-2005, दिनांक 22 अगस्त, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

प्रदीप शुक्ला
सचिव ।

संख्या-13-ई0एम0/87(1)का-4/2005, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि,निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग

आज्ञा से,

(बी0एन0दीक्षित)
विशेष सचिव ।